RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/ दिनांकः–

ई–निविदा सूचना संख्या : 02/2022–2023

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत जयपुर शहर के विभिन्न 9 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन(Operation of Respirable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, सुरक्षा एवं संरक्षण(Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Sample), संबंधित फिल्ड डाटा शीट (Field Data Sheet), सहित विभिन्न कार्यो यथा विशलेषण इत्यादि कार्य अनुबंध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मो/पंजीकृत संस्थाओं/एजेंसियों से दरें प्राप्त करने के लिए ई. बोली आमंत्रित की जाती है।

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	RISL शुल्क	बिड सिक्यूरिटी	ई–बिड प्रारम्भ होने की तिथी व समय	ई–बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	ई–बिड़ खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
रूपये 20.00लाख	रूपये 500/–नगद/ डी.डी.	रूपये 500/–	रूपये 40,000/–	समय–10.00 AM दिनांक– 8/2/23	समय– 6.00 PM दिनांक– 22/2/23	समय– 3.00 PM दिनांक–23/2/23

ई–बिड़ प्रपत्र एवं विस्तृत विवरणविभागीय वेबसाईट www. environment. rajasthan. gov.in/rpcb or eproc.rajasthan.gov.in एवं उपावन पोर्टल http:sppp.rajassthan.gov.inपर देखे व डाउनलोड किया जा सकता है। बिड शुल्क का बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से एवं RISL शुल्क प्रबंधक निदेशक RISLके पक्ष में देय होगा। Bid प्रपत्र फीस, RISL शुल्क तथा अमानत राशि के डी.डी. के बिना बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

UBN...PCB2223SLOB00065

सदस्य सचिव

कमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/5663-5665 दिनांकः– 06/02/2023

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बोली सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय, एक राज्य स्तरीय 50 हजार ओर अधिक प्रतियों का परिचालन वाले मुख्य दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई. टी. शाखा, को बोली सूचना को उक्तानुसार वांछित वेबसाइटों पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. नोटिस बोर्ड , राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

सदस्य सचिव

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/ दिनांकः–

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. उपापन प्राधिकारी का नाम– मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, के. प्रयो., रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. बोली प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नामः ....
3. पूरा पता : : ....
....
4. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
....
पदनाम ....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

....
5. निविदादाता का दूरभाषा संख्या/लेडलाइन नं...............................मोबाइल नं...
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम मे प्रस्तुत की किया जायेगा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुवंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का वचन पत्र			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4	वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)			
5	आयकर–पेन नम्बर			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थानअधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत			

7. Address proof ....
8. राजकॉम्प इनफो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/– प्रति बोली Processing Fees) क्रमांक.......................दिनांक ....
9. बोली प्रपत्र शुल्क 500/– रूपये /डी.डी./बैंकर चैक कमांक......................दिनांक............
10. बिड सिक्योरिटि डी.डी. राशि–40,000/–रूपये, डी.डी. कमांक......................दिनांक............

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

11. मैं/हम उपरोक्त ई–बिड सूचना संख्या 02 दिनांक 06/02/2023 के संबंध में जोब बेसिक पर श्रमिक
12. एतद द्वारा निम्न लिखित दरे प्रस्तुत करता हूँ (दरे निम्ननुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी)।

13. टर्न ओवरः– बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21, 2021–22 में न्यूनतम टर्न ओवर 30 (तीस) लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट अकाण्टेंट द्वाराUDIN No. सहित प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। सम्बन्धित वर्षो की बैलेंस शीट तथा ITR प्रस्तुत करनी होगी।

14. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली सूचना कमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला–5663-5665 दिनांकः–06/02/2023 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त बोली सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

15. ऊपर उल्लेखित दरें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यदेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

16. बिड़ में वांछित श्रमिक का कार्य टेक्नीकल प्रवृति का है, अतः इसके लिए वांछित योग्यता बिंदु संख्या 9.3, 9.4 में अंकित है। अतः बिड़दाता द्वारा बिड़ के साथ निर्धारित योग्यता के श्रमिक उपलब्ध कराने का घोषणा पत्र 500/– रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा एवं सफलतम बिड़दाता द्वारा श्रमिकों की योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

बिड़ से संबंधित कार्य का विवरण एवं श्रमिकों की योग्यता के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः—

कमांक	स्थान का नाम	प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने है।
1.	Recreation Center, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
2.	PHED Office, अजमेरी गेट, जयपुर	
3.	RSEB Office, चांदपोल / ब्रह्मपुरी पुलिस थाना, जयपुर	
4.	रा.प्र.नि.मं. मुख्यालय,झालाना डूंगरी, जयपुर	
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, रा.प्र.नि.मं., जयपुर (उत्तर), सीकर रोड़, जयपुर	
6.	रीको कार्यालय, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
7.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर	
8.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	
9.	नगर निगम कार्यालय मानसरोवर, जयपुर	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या नौ से अधिक की जा सकती है।

9.1 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर **क्षेत्र सहायक** के अपेक्षित कार्यः—

- कार्य का विवरणः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर स्थित (09) स्थानों पर, जो बाद में बढ़ा कर बराह (12) स्थानों तक किये जा सकते है, पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler), उक्त उपकरणों के आस—पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित आंकड़ो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं.,जयपुर को निर्देशानुसार आंकडो तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over) / परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रो के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा रहा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है।
- निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
- प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घन्टे चलाया जायेगा।

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

- वंछित कार्य सम्पादन के लिए 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 AMसे 2:00 PM,2:00 PMसे 10:00PM एवं 10:00 PM से 6:00 AM) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।

9.2.मण्डल द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यो का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।

9.3 क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

9.4 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)के अपेक्षित कार्यः–
परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधत कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।
9.5 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनटम शौक्षणिक योग्यता
स्नातकोत्तर (विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
9.6 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।
9.7 मुख्य/अधीक्षण वेज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरिक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शासित अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यकम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्ते :–

- बोली को जयपुर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) वर्तमान संख्या 9 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- **ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य वैज्ञानिक कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने का न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्वयक हैं।** अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली पर विचार नही किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्या या कोई अन्य त्राुटि पायी जाने की पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर को होगा।
- विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीयों को बिना कारण बताते अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

- बिड दो स्टेज–तकनीकी एवं वित्तीय बिड के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वित्तीय बिड, प्रपत्र में संलग्न Annexure-"A" में प्रस्तुत की जाती है जो तकनीकी रूप से सफल बिडदाताओं की ही खोली जायेगी।
- बोली की अमानत का DD(अनुमानित मूल्य का 2%) बिड प्रपत्र शुल्क/राशि (Earnest Money)/RISL फीस/बिड सिक्यूरिटी दिनांक 22-02-23 को समय 06:00 PM बजे तक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर में पहुच जाने चाहिए। प्राप्त बोली दिनांक 23-02-23 को समय 03:00 PM बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोला जायेगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वितीय बोली खोली जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत की जायेगी।
- वितीय बोली में सफल पाये गये बोलीदाता को निम्नानुसार बोली का 2.5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि एवं 500/– नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- बोलीप्रपत्र एवं हस्ताक्षर युक्त समस्त दस्तावेज Website-eprock पर ही प्रस्तुत (अपलोड) की जानी है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यकम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme)के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring)आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर बढ़ाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपस्कर/उपकरणा,रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहनन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

- ठेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी या समकक्ष से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर, इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वितीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
3. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय –पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
4. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
5. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सकायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
6. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायलय द्वारा अपराध–सिद्व दोषी, सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु पुलिस सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी।
7. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों के बीमा की जरूरत होती है तो वह संवेदक स्वंय करायेगा।
8. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
9. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant)एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
10. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
13. यदि अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तो/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाी या किसी प्रकार की शास्ति सदस्य सचिव द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
14. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
15. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTPP Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
16. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायलय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
17. यह है कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।
18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वितीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर होंगे एवं इस विवाद पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं राज्य मण्डल आपसी सहमति से अनुबन्ध को एक वर्ष के लिए निविदा की शर्तो एवं दरों पर बढ़ा सकते है।
20. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूनें के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

शास्ति (Penalty)

- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेंगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उस दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
- लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

21. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
22. आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F. के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही, किया जायेगा।
23. सफलतम बिडदाता द्वारा श्रमिकों को देय निर्धारित राशि के भुगतान की अनुपालना सुनिश्चत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम : **मैसर्स :** ....

पता : ....

दिनांक

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
4, Instituional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).
Phone: +91-0141-5159669,5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

Annexure-"A"

वित्तीय बोली–प्रपत्र

क्र. स.	सेवा का नाम व श्रमिक श्रेणी	श्रमिकों की सख्यां	सी.पी.सी.बी. (CPCB) द्वारा निर्धारित तथा आर. एस.पी.सी. बी. (RSPCB)द्वारा संरक्षित दर प्रति माह / प्रति इकाई)	बिडदाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति माह प्रति इकाई	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह / प्रति इकाई (राशि पूर्ण रूपये में ही स्वीकार्य होगी)।	EPF दर राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दरप्रतिमाह / प्रति इकाई	ESIदर राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दरप्रतिमाह / प्रति इकाई	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्षेत्र सहायक	9	7358			13%	3.25%	
2.	वैज्ञानिक सहायक	3	13400			13%	3.25%	

1. CPCB के द्वारा देय पारिश्रमिक राशि के अनुसार राशि श्रमिकों को देने हेतु बिड प्रपत्र के वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 4 में पारिश्रमिक राशिया निर्धारित कर–राज्य मण्डल द्वारा दर संरक्षित की गई है, अतः बिड के वित्तीय प्रपत्र में कॉलम संख्या 5 में बिडदाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम पारिश्रमिक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 17953 दिनांक 28.06.2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (7358/– रूपये) से कम का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
2. क्र.सं. 01 के लिए 10,000 तथा क्र.सं. 2 के लिए 18000/– रूपये अधिकतम कुल राशि CPCB द्वारा निर्धारित है, इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नहीं है।
3. उपयुर्क्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 5 व 6 में ही राशि अकिंत की जायेगी तथा कॉलम 6 में राशि पूर्ण रूपयों में अंकित करने पर ही बिड स्वीकार्य होगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा ही अकिंत कर, बोली दस्तावेजों में अकिंत कर उपलब्ध कराई गई है। L–1का विवरण कॉलम 9 के आधार पर किया जायेगा।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा कॉलम 9 में समान राशि अकिंत होने पर जिस बोली दाता का वित्तिय वर्ष 2019–20, 2020–2021 और 2021–2022 में वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा तथा जिस फर्म का अनुभव सबसे अधिक होगा, उस बोलीदाता को प्राथमिकता मिलेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर